

कार्यालय आख्या एस 06

उभय पक्ष को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.11.2025 में सूचीबद्धवादों की सुनवाई मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय के आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण दिनांक 18.11.2025 के स्थान पर दिनांक 15.12.2025 नियत की जाती है।

आज्ञा से

मा0, राज्य सूचना आयुक्त,



पेशकार एस-6

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता का नाम

विपक्षी नाम.....

पदनाम.....